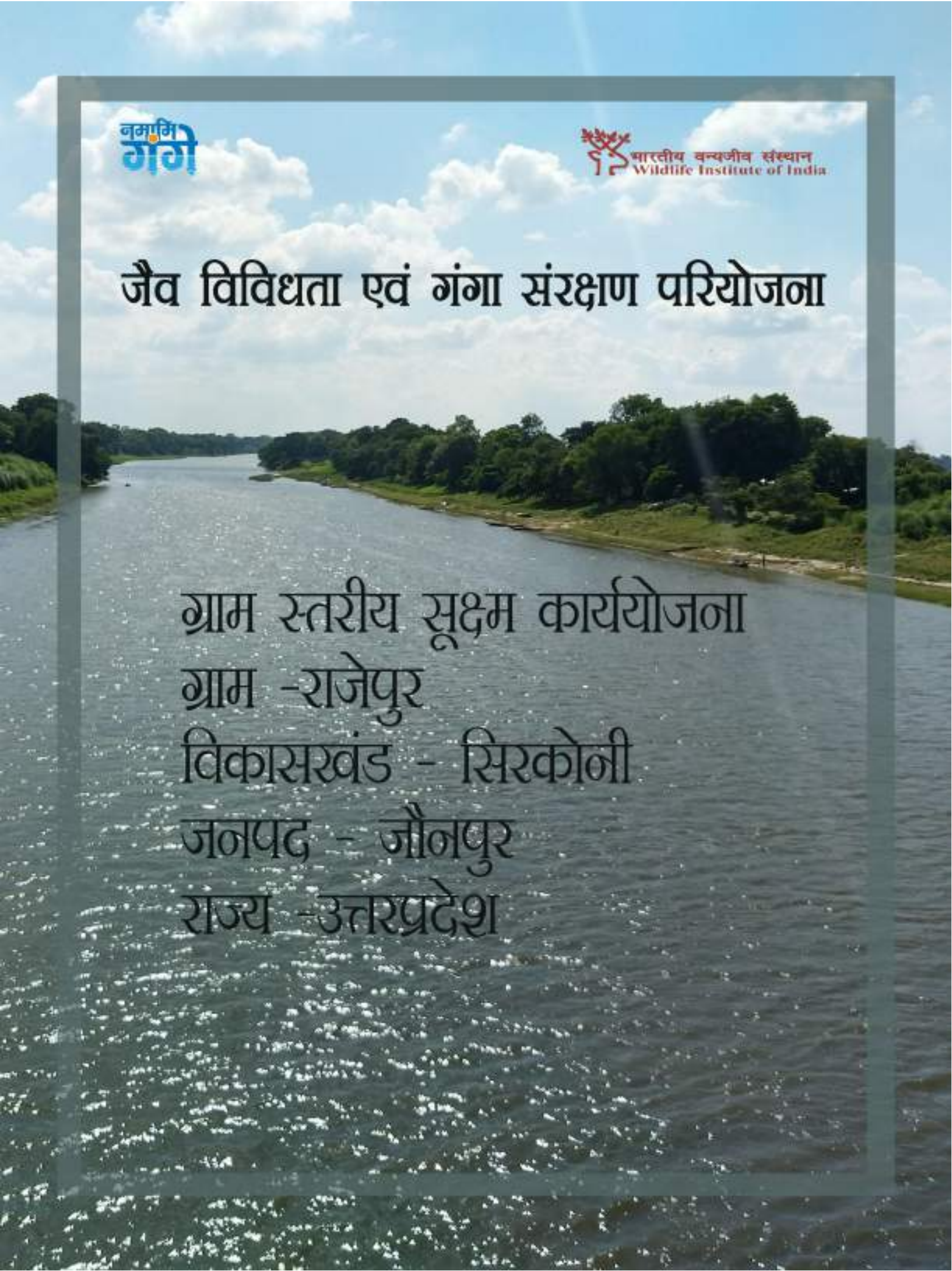

नमामि गंगे

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण परियोजना

ग्राम स्तरीय सूक्ष्म कार्ययोजना

ग्राम -राजेपुर

विकासखंड - सिरकोनी

जनपद - जौनपुर

राज्य -उत्तरप्रदेश

सम्पादक

डॉ0 रूचि बडोला

डॉ० एस० ए० हुसैन

लेखन एवं रूपरेखा

हेमलता खण्डूड़ी

डाटा संकलन

सुनीता रावत एवं गंगा प्रहरी टीम,
जौनपुर

टाइप सैटिंग

मानसी बिजल्वाण

डिजाइन

शताक्षि शर्मा

फोटो केडिट

एन0एम0सी0जी टीम

सम्पादकीय पता

भारतीय वन्यजीव संस्थान
पोस्ट बॉक्स 18, चन्द्रबनी
देहरादून – 248001
उत्तराखंड, भारत
टेलिफोन संख्या – 0135
2640114-15/2646100
फैक्स नं0 – 0135-2640117
ई -मेल – ruchi@wii.gov.in

वर्ष – 2022

सूक्ष्म नियोजन

ग्राम पंचायत	राजेपुर
विकासखंड	सिरकोनी
जनपद	जौनपुर
राज्य	उत्तर प्रदेश
कुल बजट	16,47,000.00
क्रियान्वयन अवधि	5 वर्ष

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

2022

विषय - वस्तु

परिचय	
सहमति पत्र	
भाग - **1** प्रस्तावना	01
1.1 ग्राम स्तरीय सूक्ष्म जैवविविधता योजना	01
भाग - **2** ग्राम पंचायत का विवरण	03
2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण	03
2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक	03
2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया	03
2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण	03
2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय	04
2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति	04
2.7 कृषि एवं पशुपालन	04
2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण एवं स्वच्छता	05
2.9 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता	05
2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैव विविधता का विवरण	05
2.11 समुदाय की नदी पर निर्भरता	05
2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे पूर्व में संचालित जैव विविधता कार्यक्रम की जानकारी	05
2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण	05
भाग - **3** कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders)	08
3.1 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक	08
भाग - **4** समस्या विश्लेषण	10
4.1 समस्या विश्लेषण	10
भाग - **5** नियोजन का उद्देश्य	12
भाग - **6** प्रस्तावित गतिविधियाँ, रणनीति तथा समन्वयन	14
6.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ	14
6.2 समुदाय आधारित संस्थायें एवं उनका योगदान	14
6.3 आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी गतिविधियाँ	14
6.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ	15

विषय - वस्तु

6.5 वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी गतिविधियाँ	15
6.6 जैव विविधता संबंधी गतिविधियाँ	16
6.7 कृषि विकास संबंधी गतिविधियाँ	16
6.8 पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियाँ	16
6.9 मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियाँ	17
6.10 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन	17
भाग - 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण	19
7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण	19
7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट	21
7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	22
7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व	23
7.5 विवाद का निपटारा	23
7.6 रिकार्ड्स का रखरखाव	23
7.7 सफलता के सूचक	24
अनुलग्नक	26
1 समझौता ज्ञापन	26
2 सामाजिक मानचित्र	27
3 सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची	28
4 फोटो गैलरी	29

Rajepur
43
43
Image © 2023 Maxar Technologies
Imagery Date: 11/19/2022

मानचित्र

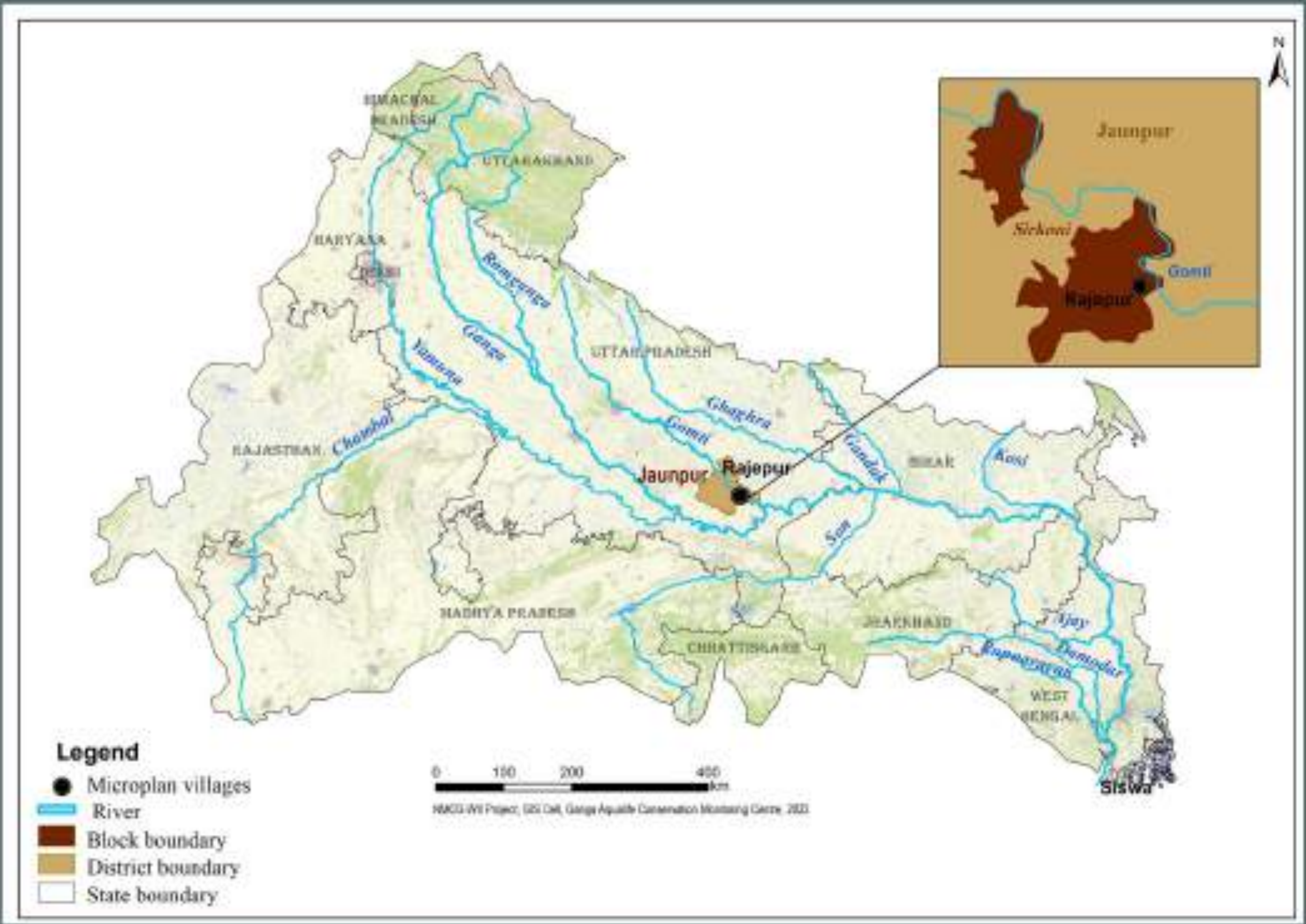

N
Jaunpur
Sirkoni
Gomti
Rajepur
UTTARAKHAND
HARYANA
UTTAR PRADESH
RAJASTHAN
BIHAR
MADHYA PRADESH
CHHATTISGARH
WEST BENGAL
Ramganga
Ganga
Yamuna
Gomti
Ghaghra
Gandak
Chambal
Son
Kosi
Ajay
Damodar
Rupnarayan
Jaunpur
Rajepur
Sisws
Legend
Microplan villages
River
Block boundary
District boundary
State boundary
0 100 200 400
Km

राजेपुर

परिचय

भारत सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिये नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण परियोजना का आरंभ किया है। परियोजना के द्वितीय चरण में गंगा नदी की सहायक नदियों को भी कार्यक्रम में शामिल किया गया है। परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर नदी की सफाई के तहत तरल कचरे की समस्या को हल करने हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में जल व मल के निस्तारण हेतु शौचालयों का निर्माण, शवदाह गृहों का उच्चीकरण, आधुनिकीकरण एवं निर्माण, घाटों का निर्माण और मरम्मत आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जैवविविधता संरक्षण, वनीकरण व पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिये भी कार्य किया जाना है। नमामि गंगे कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा गंगा नदी की स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु चलाये जा रहे नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जलीय जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गंगा नदी की विभिन्न प्रजातियां जो वर्तमान में संकटग्रस्त हैं या निकट भविष्य में जिनके लुप्त होने की संभावना है, इन प्रजातियों की विविधता के लिये उत्पन्न होने वाले खतरे में कमी आये। परियोजना के प्रथम चरण में गंगा नदी की मुख्यधारा में कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। जिसमें जैवविविधता संरक्षण हेतु 6 घटकों पर कार्य किया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा जलीय जीव संरक्षण एवं अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी के जलीय जीवों के पुर्नरूद्धार हेतु योजना का निर्माण, वन विभाग एवं अन्य हितधारकों का क्षमता विकास, जलीय प्रजातियों हेतु बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी की प्रजातियों के पुनर्वास हेतु समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम एवं गंगा नदी की जैवविविधता के संरक्षण हेतु नेचर इंटरप्रेटेशन और शिक्षा आदि कार्यक्रम प्रमुख हैं। परियोजना के द्वितीय चरण में कार्यक्रम का क्रियान्वयन गंगा की सहायक नदियों में किया जा रहा है।

सूक्ष्म नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय समुदाय अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास की योजना का निर्माण करता है। सूक्ष्म नियोजन में समुदाय के सभी वर्गों की भागीदारी होना इसकी प्रमुख विशेषता है। नियोजन की प्रक्रिया को विकेन्द्रित **(Decentralised)**, सतत् **(Sustainable)** एवं सहभागी **(Participatory)** बनाने का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। जिसमें नियोजन की प्रक्रिया ऊपर से नीचे **(Top to bottom)** न होकर नीचे से ऊपर **(Bottom to top)** की ओर होती है। इस प्रक्रिया में समुदाय के ज्ञान व अनुभवों को आधार मानकर कई सहभागी आकलन की गतिविधियों के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है।

ग्राम पंचायत - राजेपुर द्वितीय

अनिल सरोज
(प्रधान)
Mob. 9919015506
9793389506

ग्राम पंचायत- राजेपुर द्वितीय
न्याय पंचायत- राजेपुर
विकास खण्ड- सिरकोनी
जनपद- जौनपुर (उ० प्र०)
पिन कोड- 222136

पत्रांक-

सहमती पत्र

दिनांक 10/12/2022

प्रमाणित किया जाता है कि नमामि गंगे के अन्तर्गत जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत राजेपुर द्वितीय विकास-खण्ड सिरकोनी, जनपद जौनपुर में विभिन्न बैठक, कार्यशालाओं, एवं प्रशिक्षणों के साथ-साथ अन्य गतिविधियाँ आयोजित की गयी है, समुदाय के साथ लगातार चर्चा के बाद गंगा की जैवविविधता संरक्षण हेतु यह ग्राम स्तरीय सूक्ष्म योजना पर समुदायिक बैठक मे चर्चा करने के उपरान्त समुदाय द्वारा इस पर सहमति की गयी है, ग्राम पंचायत मे इस योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम समुदाय भारतीय वन्य जीव संस्था एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ भागीदारी हेतु तैयार हूँ।

ग्राम पंचायत राजेपुर द्वितीय
प्रधान
वि० ख० सिरकोनी, जौनपुर

अनिल

राजेपुर

भाग – 1 प्रस्तावना

1.1 ग्राम स्तरीय सूक्ष्म जैवविविधता योजना

ग्राम पंचायत	राजेपुर
अवस्थिति	अक्षांश 25.6384429 एवं देशान्तर 82.9160552
विकासखंड	सिरकोनी
जिला	जौनपुर
राज्य	उत्तर प्रदेश
मुख्यालय जौनपुर से दूरी	9 कि०मी०
तहसील मुख्यालय सिरकोनी से दूरी	7 कि०मी०
गोमती व सई नदी से दूरी	500 मी०
कुल जनसंख्या	8500
कुल परिवार	655
मुख्य जातियां	हिन्दू, मुस्लिम, (ठाकुर, ब्राह्मण, हरिजन - मिश्रा, गौड़, मल्लाह, निषाद, राजभर, गुप्ता, यादव, श्रीवास्तव,, विश्वकर्मा, पाल, कनौजिया, शर्मा, मौर्या)।
मुख्य समस्याएं	• जागरूकता की कमी, • कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग, • धार्मिक व पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित करना, • कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होना, • आजीविका हेतु गोमती नदी पर निर्भरता, • स्थानीय संस्थाओं का सुदृढ़ न होना
प्रस्तावित गतिविधियाँ	• सामुदायिक जागरूकता गतिविधियाँ • समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण • आजीविका व कौशल विकास गतिविधियाँ • स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ • वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी गतिविधियाँ • जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियाँ • कृषि विकास संबंधी गतिविधियाँ • पशुपालन संबंधी गतिविधियाँ • मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियाँ

भाग -2 ग्राम पंचायत का विवरण

2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण-

ग्राम पंचायत राजेपुर गोमती नदी से **500** मी० की दूरी पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले के सिरकोनी विकासखंड में स्थित है। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी **9** कि०मी० एवं राजधानी लखनऊ से **257** कि०मी० है। राजेपुर का पिनकोड **222136** है और डाकघर राजेपुर में ही स्थित है। गाँव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग **205** हैक्टेयर है। ग्राम पंचायत राजेपुर की कुल जनसंख्या **8600** है। यहाँ पर लगभग **655** परिवार निवास करते हैं।

2.2 ग्राम पंचायत चयन के मानक -

ग्राम पंचायत राजेपुर गोमती और सई नदी के संगम के पास बसा है। ग्राम पंचायत के आसपास गोमती नदी में जैवविविधता काफी संख्या में पायी जाती है। यहाँ पर कछुए, विभिन्न प्रजाति की मछलियाँ, आदि जलीय जीव पाए जाते हैं। ग्रामीण जलीय जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूक नहीं हैं। गाँव में अधिकतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मल्लाह तथा निषाद जाति के लोग निवास करते हैं, इसी के साथ ही लगभग प्रत्येक परिवार की गोमती व सई नदी पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निर्भरता है। ग्राम पंचायत गोमती व सई नदी के तट पर स्थित होने के कारण तथा यहाँ पर जलीय जैवविविधता की उपस्थिति होने के कारण ग्राम पंचायत को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया -

न्दी के किनारे बसे गांवों का भौतिक भ्रमण करने और ग्रामीणों से चर्चा करने के उपरांत गोमती व सई नदी के तट पर स्थित इस गांव का चयन कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है। उपरोक्त ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क किया गया एवं ग्राम समुदाय के साथ बैठकें कर ग्राम पंचायत की स्थिति को जाना गया व ग्रामवासियों को परियोजना की जानकारी दी गयी व कार्यक्रम के उद्देश्यों को बताया गया। ग्राम प्रधान की सहमति के बाद समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण -

ग्राम पंचायत राजेपुर में कुल **655** परिवार निवास करते हैं, ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या **8600** है, जिसमें **4700** पुरूष और **3900** महिलाएं हैं। वर्ष **2011** की जनगणना के अनुसार यहाँ पर साक्षरता दर **57.5** प्रतिशत है। ग्राम पंचायत में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम है, जिस हेतु सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा स्कूल में नामांकन हेतु अभियान चलाये जाते हैं। नदी किनारे प्रसिद्ध रामेश्वरम मंदिर है जहाँ मेले और त्योहारों के समय काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर रामेश्वर धाम मेला, कार्तिक पूर्णिमा, शिवरात्रि, विजय दशमी, छठ पूजा, माघ मेला तथा अन्य धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं। ग्राम पंचायत में पारम्परिक मेलों तथा त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है।

2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय -

सिरकोनी विकासखण्ड के राजेपुर में रहने वाले लागों की आर्थिक स्थिति निम्न मध्यमवर्गीय है। **655** परिवारों में से **308** परिवार मुख्य रूप से कृषि व पशुपालन पर आश्रित है। **5** परिवार स्वरोजगार, **10** परिवार सरकारी तथा प्राइवेट नौकरी में है। **25** मल्लाह परिवार गोमती व सई नदी के किनारे पालिज खेती तथा **20** परिवार नौकायन का कार्य करते हैं। गोमती व सई नदी के तट पर **6** माह खेती की जाती है। **14** परिवार के सदस्यों द्वारा मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। **268** परिवार द्वारा कृषि मजदूरी, मनरेगा, ऑटो चालन तथा अन्य मजदूरी का कार्य किया जाता है। **5** परिवार धार्मिक क्रियाकलाप का कार्य करते हैं। ग्राम पंचायत में **455** परिवार गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं। ग्राम पंचायत में आय के अन्य स्रोत पशुपालन, मजदूरी, मनरेगा, आटो चालन, अन्य मजदूरी एवं मछली का शिकार तथा नदी किनारे की खेती (**Riverbed farming**) है।

2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति -

ग्राम पंचायत में **250** सरकारी एवं निजी हैडपंप बने हैं। जिससे सम्पूर्ण ग्राम पंचायत की पेयजल व्यवस्था संचालित होती है। हाल ही में नीर निर्मल योजना के तहत पानी की टंकी बनाने और पाइप लाइन बिछाने के कार्य का सर्वेक्षण हुआ है। ग्राम पंचायत में कुल **589** शौचालय निर्मित है, जिसमें **550** शौचालय स्वच्छ भारत मिषन के तहत वर्ष तक बने हैं, तथा **39** परिवारों के द्वारा शौचालय स्वयं के संसाधनों से बनाये गये हैं | राजेपुर पूर्णतः खुले में शौच मुक्त गाँव बन गया है। गाँव में **80** प्रतिशत परिवारों द्वारा शौचालय का उपयोग किया जाता है, कूड़ा निस्तारण सभी परिवारों के द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जाता है, गाँव में सार्वजनिक या पंचायत का कूड़ा डम्पिंग क्षेत्र नहीं है, लोगों द्वारा कूड़े को अपने घर के आसपास, खेतों में तथा नदी के किनारे डाला जाता है।घाट की तरफ जाने वाले रास्ते मे छोटी छोटी दुकानों का कूड़ा नदी किनारे एकत्र किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यहाँ पर कूड़ा निपटान की सुविधायें निर्माण करने हेतु सर्वेक्षण किया गया है जिसका कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

2.7 कृषि एवं पशुपालन -

ग्राम में कृषि एवं पशुपालन आय का मुख्य स्रोत है। **308** परिवार कृषि के साथ ही पशुपालन भी करते हैं तथा **70** परिवारों द्वारा दूध को बाजार में विक्रय किया जाता है। लगभग **10** परिवार बकरियों के क्रय विक्रय द्वारा आय अर्जन करते है। ग्राम में समुदाय के पास **2500** बकरियाँ, **1000** गाय एवं **550** भैंसें हैं।

ग्राम पंचायत में कुल **105** हैक्टेयर कृषि क्षेत्र है, जिसमें **308** परिवार कृषि करते हैं। गोमती के किनारे की **5** हैक्टेयर भूमि पर पालिज खेती करने वाले परिवारों की संख्या **25** है। यहाँ पर धान, गेहूं, सरसों, उड़द, मक्का, चना, जौ, मूँग, बाजरा आदि की खेती की जाती है। नकदी फसलों में राई, पालक, बथुआ, टमाटर, लौकी, तोरी, खीरा, गोभी, प्याज आदि उगाये जाते हैं। गंगा के कछार में तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूज, कद्दू, लौकी, तोरी आदि उगाई जाती हैं।

फसलों का कीटों से बचाव करने हेतु थारमेट, लाया, ऐन्ट्राफिट आदि कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। फसल अच्छी हो इसके लिए रासायनिक खाद का प्रयोग भी करते हैं।

2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण -

जनपद में मौसम गर्म तथा औसतन वार्षिक आर्द्रता **46.73** प्रतिशत रहती है, यहाँ पर औसतन वार्षिक वर्षा **795.35** मि०मी० तक होती है। सिंचाई व पेयजल हेतु मुख्य स्रोत गोमती नदी का पानी है। सिंचाई हेतु एक सरकारी ट्यूबबैल और कुएं हैं, इसके साथ ही समुदाय द्वारा सिंचाई हेतु निजी **150** सबमर्सिबल पंप लगाये गये हैं।

2.9 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता -

ग्राम पंचायत में सड़क मार्ग व रेल मार्ग दोनों से आवागमन के साधन उपलब्ध हैं। हाइवे से ग्राम पंचायत की दूरी **11** कि०मी० है। गांव से जौनपुर रेलवे स्टेशन की दूरी **13** किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त ग्राम संचार के साधनों में टेलीफोन की उपलब्धता है। ग्राम पंचायत में आवागमन बस, आटो रिक्शा तथा व्यक्तिगत वाहन से होता है। डाकघर गांव से **1** कि०मी० दूरी पर जलालपुर में है।

2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैवविविधता का विवरण -

गांव के आसपास बरगद, पीपल, सागौन, चिलबील, आम, अमरूद, जामुन, आडू, कटहल, बरगद, नीम, अशोक, गुलमोहर, शहतूत, डेकन, महुआ, पापुलर आदि के पेड़ पाये जाते हैं। यहाँ पर गोमती व सई नदी में जलीय जैवविवधिता बहुत समृद्ध है यहाँ पर कछुये, मेंढ़क, विभिन्न प्रजाति की मछलियाँ, जल पक्षी आदि पाये जाते हैं। आजीविका हेतु यहाँ के लोगों की नदी पर प्रत्यक्ष निर्भरता बहुत कम है। नदी के किनारे चचेरी, दूब, कुश आदि घासें पाई जाती हैं।

2.11 समुदाय की नदी पर निर्भरता -

ग्राम पंचायत राजेपुर में गोमती व सई नदी के किनारे पालिज खेती करने वाले परिवारों की गोमती व सई नदी पर प्रत्यक्ष निर्भरता है। सामान्य रुप से खेती करने वाले शत प्रतिषत परिवार अप्रत्यक्ष रुप से ट्यूबवैल तथा सरकार व निजी स्तर लगाये गये सबर्सिबल की सहायता से पानी का उपयोग करते हैं। गोमती व सई नदी के संगम पर निर्भरता धार्मिक क्रिया कलाप, मेले, नहाने हेतु सभी परिवारों की है। **14** परिवारों के द्वारा मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। **20** मल्लाह परिवार नाविक के रूप में गोमती व सई नदी पर निर्भर हैं। समुदाय द्वारा पशुओं के चारे, छप्पर व चटाई बनाने आदि के लिये गोमती व सई नदी के किनारे होने वाली घास का प्रयोग किया जाता है। **25** परिवारों द्वारा नदी किनारे की **5** हेक्टेयर भूमि पर पालिज कृषि की जाती है। इनके पाय आजीविका का अन्य विकल्प न होने के कारण ये पालिज पर निर्भर हैं।

2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैवविविधता कार्यक्रम की जानकारी -

ग्राम पंचायत राजेपुर में ग्राम स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) गठित नहीं है। पूर्व में किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था के द्वारा जैवविविधता से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया गया है। केवल समय-समय पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है।

2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण

ग्राम में चल रहे कार्यक्रमों एवं समुदाय आधारित संस्थाओं का विवरण एवं संख्या निम्नवत है।

क्रम सं०	कार्यक्रम का नाम	गठित संस्था का नाम	कार्यक्रम का विवरण	लाभार्थियों की संख्या	टिप्पणी
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	स्वंय सहायता समूह	प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार	6 समूह, 80 सदस्य	समूह बने हैं जो बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़े हैं।
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	आशा	महिला एवं बाल स्वास्थ्य	4 कार्यकर्ता	
3	समेकित बाल विकास योजना	आंगनबाड़ी	2 आंगनबाड़ी केन्द्र	65 बच्चे व 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	
4	स्वच्छ भारत मिशन	स्वच्छता समिति	समुदाय को ग्राम पंचायत की स्वच्छता एवं शौचालय निर्माण हेतु प्रेरित करना	589	
5	उज्जवला योजना		नि:शुल्क गैस कनैक्शन वितरण	455 परिवार	

उपरोक्त के अतिरिक्त क्षेत्र में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुद्रा लोन योजना, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आदि चलाई जा रही है, परंतु जानकारी के अभाव में गाँव वासियों द्वारा इनका लाभ कम ही लिया जा रहा है।

भाग -3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक

3.1 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (stakeholders)

जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हितधारकों की पहचान करने हेतु समुदाय के विभिन्न वर्गों के साथ बैठकें की गई। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, मल्लाह समुदाय, ग्रामीण समुदाय, पंचायत स्तर पर गठित समितियों के सदस्य, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों आदि के साथ कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की गई व गोमती व सई नदी की स्वच्छता एवं जैवविविधता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। गोमती व सई नदी पर सीधे तौर पर समुदाय की भागीदारी को देखते हुए हितधारक के रूप में निम्न समूह चिन्हित किये गये हैं। जिन्हें कार्यक्रम में प्राथमिक तथा मुख्य हितधारक के रुप में रखा गया है।

- धार्मिक समूह
- स्थानीय समुदाय
- पालिज की खेती करने वाले व अन्य किसान
- विद्यालयों के छात्र/छात्राएं
- ग्राम पंचायत के चयनित सदस्य
- गंगा प्रहरी
- स्वयं सहायता समूह, आंगनबाडी, आशा कार्यकर्ता, ग्राम स्तरीय समिति
- विभिन्न विभाग एवं कार्यक्रम के अधिकारी कर्मचारी गण- स्वच्छ भारत मिशन, राज्य आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, खण्ड विकास अधिकारी, वन विभाग, उद्यान विभाग, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, गैर सरकारी संस्थायें ।
- केन्द्रीय मंत्रालय - जलशक्ति मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, अन्य मंत्रालय आदि।

गोमती व सई नदी की जैवविविधता के संरक्षण एवं इसकी स्वच्छता के संबंध में विभिन्न हितधारकों (संगठनों, संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों) के प्रभाव शक्ति और रूचि को पहचानने, सूचीबद्ध करने और उसका विश्लेषण करने के लिये हितधारक मानचित्रण किया गया है। गोमती नदी के संरक्षण एवं स्वच्छता में हितधारकों के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों, अंर्तसंबंधों, गठबंधनों और संघर्षों को पहचानने के लिये यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। हितधारक मानचित्र गोमती नदी की जैवविविधता के संरक्षण में विभिन्न हितधारकों की शक्ति, रूचि एवं प्रभाव को दर्शा रहा है। गोमती नदी पर हितधारकों के प्रभाव एवं उनकी भूमिका के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक हितधारकों को विभिन्न रंगों से दर्शाया गया है। ये मानचित्र विभिन्न हितधारकों के बीच अंतर्निभरता को समझाने एवं गोमती नदी के संरक्षण के प्रयासों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये संभावित गठबंधन बनाने में सहायक होगा।

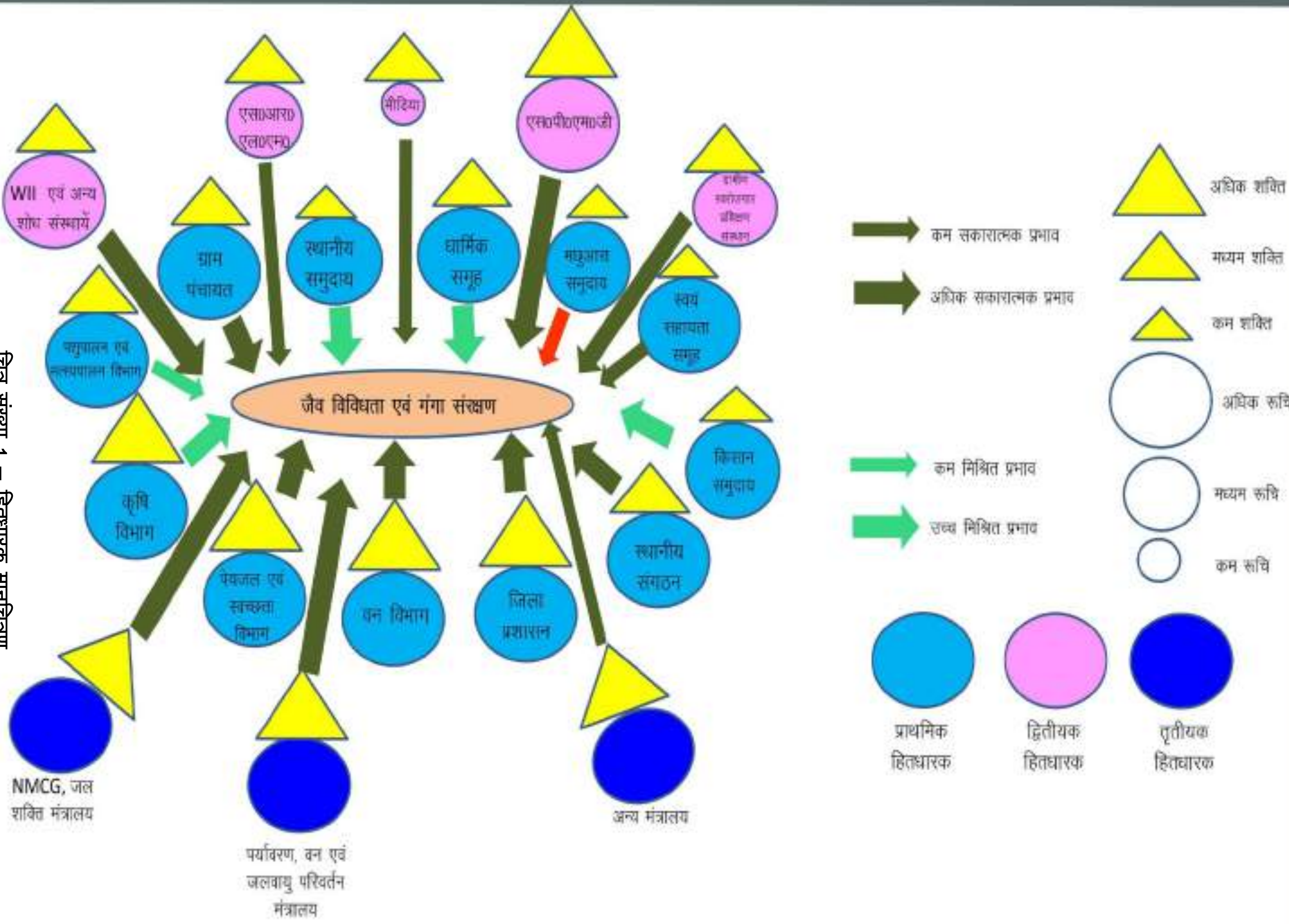

चित्र संख्या 1 – हितधारक मानचित्रण

भाग - 4 समस्या विश्लेषण

4.1 समस्या विश्लेषण-

ग्राम पंचायत राजेपुर के **25** मल्लाह समुदाय के परिवारों के द्वारा गोमती व सई नदी के किनारे वर्ष में **6** माह पालिज खेती की जाती है, अधिक उपज प्राप्त करने के लिये ग्रामीणों के द्वारा कीटनाशकों एवं रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। कीटनाशकों एवं रासायनिक खाद के उपयोग से गोमती एवं सई नदी की जैवविविधता को नुकसान पहुँच रहा है। लगातार पालिज खेती करने से कछुओं के प्रजनन व निवास स्थल को भी नुकसान पहुँचा है।

नदी के किनारे से पशुओं का चारा, छप्पर बनाने, चटाई बनाने हेतु घास लायी जाती है, जिससे जलीय जीवों का निवास स्थल तथा प्रजनन क्षेत्र को नुकसान होता है, गोमती व सई की जैवविविधता का क्षरण होता जा रहा है।

राजेपुर में संगम पर एक पक्का घाट और सई नदी के किनारे एक कच्चा घाट है, ग्राम पंचायत के मल्लाह बस्ती का नाला सीधे तौर पर गोमती नदी में प्रवाहित होता है। ग्राम पंचायत में कूड़ा निपटान की उचित व्यवस्था न होने के कारण गोमती और सई नदी के किनारे बसे समुदाय द्वारा कूड़ा नदी किनारे डाला जाता है, जो बाद में वर्षा या हवा के माध्यम से नदी में प्रवाहित हो जाता है। यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्मित किये गये हैं, जिनका उपयोग समुदाय के द्वारा किया जाता है। गांव में कूड़ा निस्तारण योजना प्रस्तावित है, साथ ही समुदाय के द्वारा अपने स्तर पर कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है।

समुदाय में नदी की जैवविविधता और पानी की निर्मलता बनाये रखने में जलीय जीवों के महत्व की जानकारी का पूर्णतया अभाव है। जागरूकता कार्यक्रमों की ओर लोगों को आकर्षित करने के लिये आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों की आवश्यकता है क्योंकि जानकारी व कौशल का अभाव होने के कारण समुदाय द्वारा गोमती नदी से संबंधित क्षेत्रों में जलीय जीवों के आवास व प्रजनन क्षेत्र को हानि पहुँचायी जा रही है।

समस्या वृक्ष

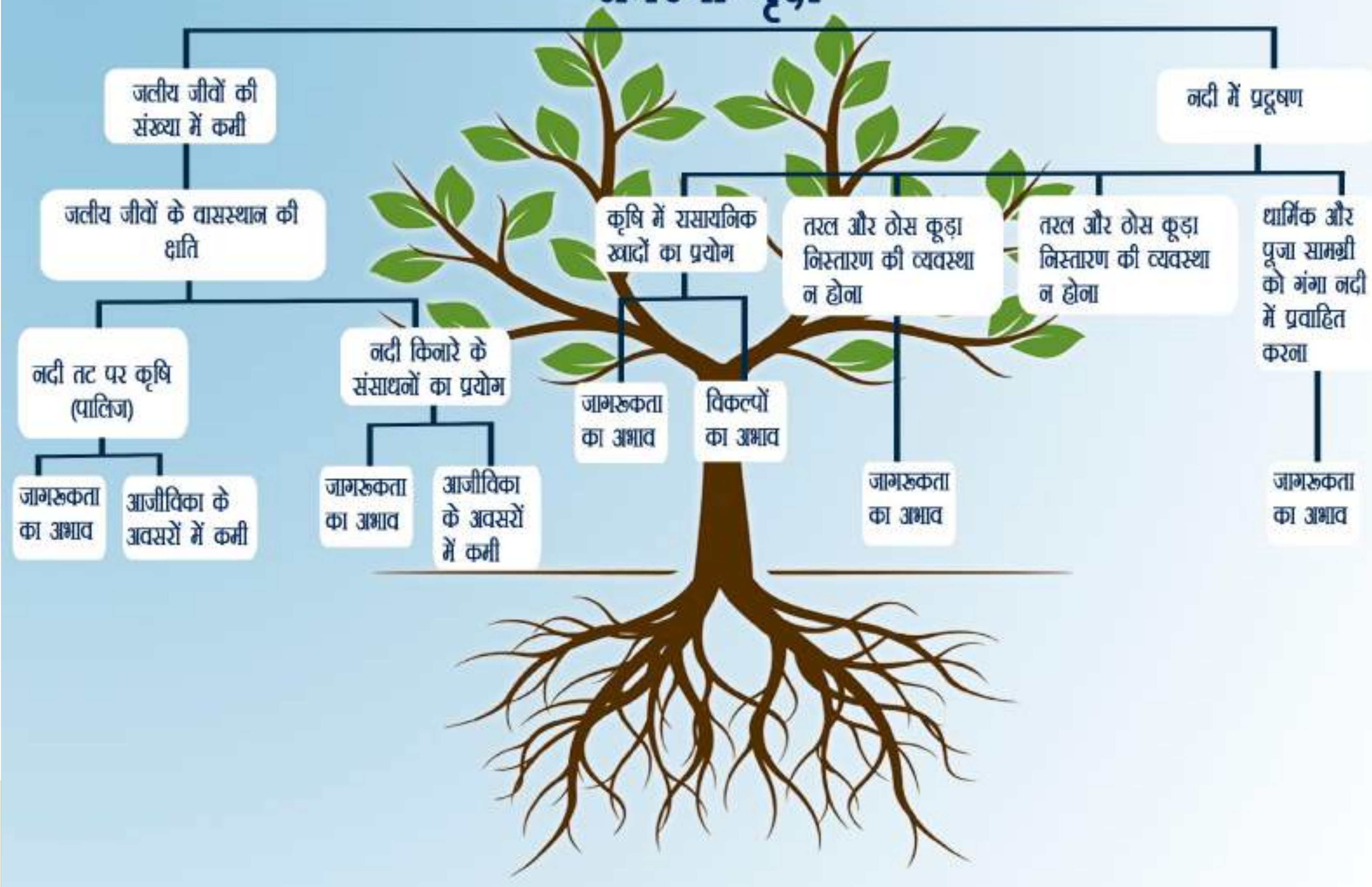

जलीय जीवों की संख्या में कमी
नदी में प्रदूषण
जलीय जीवों के वासस्थान की क्षति
कृषि में रसायनिक खादों का प्रयोग
तरल और ठोस कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होना
तरल और ठोस कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होना
धार्मिक और पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित करना
नदी तट पर कृषि (पालिज)
नदी किनारे के संसाधनों का प्रयोग
जागरूकता का अभाव
विकल्पों का अभाव
जागरूकता का अभाव
जागरूकता का अभाव
जागरूकता का अभाव
आजीविका के अवसरों में कमी
जागरूकता का अभाव
आजीविका के अवसरों में कमी

भाग – 5 नियोजन का उद्देश्य

नियोजन का मुख्य उद्देश्य गोमती नदी की जैवविविधता के संरक्षण एवं गोमती व सई नदी की निर्मलता हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं संरक्षण कार्यों में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना है जिससे संरक्षण कार्यों की सततता बनी रहे।

दीर्घकालीन उद्देश्य –

- गोमती व सई नदी की अविरलता एवं निर्मलता को बनाये रखने के लिये जलीय जीवों के संरक्षण में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।

अल्पकालीन उद्देश्य –

- जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियों के संचालन के लिये ग्राम में एक सक्रिय कैडर की स्थापना करना।
- गोमती व सई नदी की जैवविविधता के संरक्षण हेतु समुदाय को जागरूक एवं संवेदनशील बनाना ताकि वे जैवविविधता संरक्षण के कार्य में भागीदारी कर सकें।
- पालिज कृषि करने वाले किसानों को आजीविका के विकल्पों से जोड़ना।

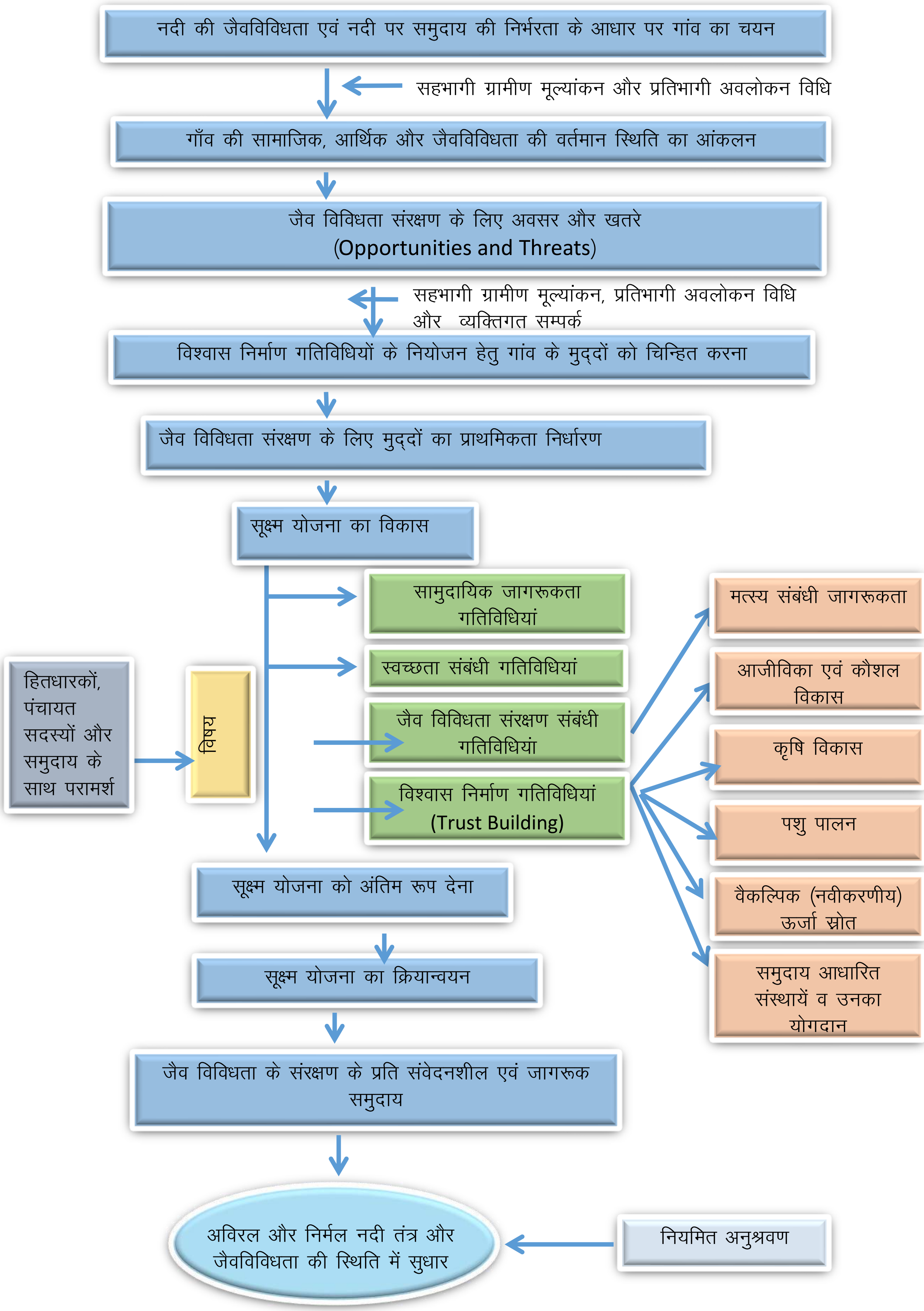

चित्र – 2 नियोजन की प्रक्रिया

भाग - 6 प्रस्तावित गतिविधियां, रणनीति तथा समन्वयन

6.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ-

ग्राम राजेपुर गोमती और सई नदी के तट पर बसा है। यहाँ पर जलीय जैव विविधता में मुख्य रूप से कछुये और मछलियां पाई जाती हैं। कछुओं के संरक्षण के प्रति समुदाय में जागरूकता का अभाव है। जिसके लिये निम्न गतिविधियां की जानी हैं।

1. समुदाय के साथ कछुओं के महत्व के बारे में जागरूकता बैठकों और अभियानों का आयोजन।
2. पालिज कृषि से कछुओं के वासस्थान को होने वाली हानि पर समुदाय से चर्चा व बैठकें।
3. वन विभाग के साथ मिलकर क्षेत्र भ्रमण और जागरूकता बैठकों का आयोजन।
4. जैविक खेती करने हेतु किसानों को जागरूक करना एवं जैविक खाद के लाभ पर जागरूकता।
5. जैवविविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ जागरूकता कार्यशाला ।
6. विशेष दिवसों जैसे वर्ल्ड टर्टल डे, अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस आदि पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
7. रैली, अभियान, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन आदि के माध्यम से समुदाय को जागरूक करना।
8. ग्राम स्तर पर जागरूक एवं सक्रिय व्यक्तियों का समूह तैयार कर उन्हें जैवविविधता संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने हेतु प्रशिक्षित करना।
9. मछली पकड़ने के लिये सही जाल के उपयोग पर जागरूकता।

6.2 समुदाय आधारित संस्थायें एवं उनका योगदान-

ग्राम राजेपुर में 6 स्वंय सहायता समूह तथा स्वच्छता समिति का गठन किया गया है। इन्हें जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियों से जोड़ने हेतु निम्न कार्य किये जायेंगें-

1. समूहों के साथ बैठकों और चर्चा के माध्यम से इन्हें कछुओं के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना।
2. नदी किनारे व घाटों की स्वच्छता बनाये रखने में समिति तथा समूहों का सहयोग लेना।

6.3 आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी गतिविधियाँ -

ग्राम पंचायम राजेपुर में अधिकतर लोग असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते हैं, तथा मौसमी रोजगार करते हैं, जिसमें मजदूरी प्रमुख है। ग्राम पंचायत में जैवविविधता संबंधी कार्यों की सततता हेतु आवश्यक है कि युवाओं और महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम से जोड़ा जाये साथ ही उनमें ऐसे कौशल का विकास किया जाये, जिससे उनकी नदी पर निर्भरता कम हो।

- कौशल विकास से संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर क्षेत्रीय युवाओं व युवतियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिलवाने का प्रयास किया जायेगा जिससे युवाओं में रोजगार के अवसरों की पहचान करने तथा उस दिशा में कार्य करने की रूचि जागृत हो।
- कार्यक्रम के अंतर्गत भी समुदाय हेतु कुछ आजीविका संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा सकता है। जिनमें पालिज खेती करने वाले परिवारों और मछुआरा परिवारों के सदस्यों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

- स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पाद के लिए बाजार उपलब्ध कराने में सरकारी एंजेसियों के माध्यम से सहयोग करना।
- युवाओं को व्यक्तिगत रूप से स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना तथा संबधित विभाग या बैंक से लोन प्रक्रिया जानने तथा पहुँच बनाने में सहयोग करना।

6.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ -

राजेपुर में शौचालय के उपयोग हेतु स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गठित स्वच्छता निगरानी समिति के द्वारा जागरुकता अभियान आयोजित किये गये, जिसके बाद समुदाय के व्यवहार में परिवर्तन भी देखा गया। कार्यक्रम के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर गठित स्वच्छता समिति के सदस्यों के साथ गंगा प्रहरियों का समन्वय स्थापित करने एवं ग्रामवासियों को जागरुक करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राम में स्वच्छता का स्तर बढ़ाने हेतु निम्न गतिविधियां की जानी हैं -

1. बैठकों, स्वच्छता अभियान व दीवार लेखन आदि के माध्यम से स्वच्छता, प्लास्टिक वस्तुओं खासकर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना।
2. जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके पृथक्करण के बारे में समुदाय को जागरूक करना।
3. जिला स्तर पर विभिन्न विभागों से संपर्क कर, ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं को स्थापित करने का प्रयास करना।
4. कूड़ादान के उपयोग हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं समय-समय पर विशेषकर त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियानो का आयोजन किया जायेगा।

6.5 वैकल्पिक ऊर्जा संबंधी गतिविधियां -

राजेपुर में कई परिवार पारम्परिक ईंधन का प्रयोग करते हैं। गोमती व सई नदी के आस पास की वनस्पति पर ईंधन हेतु निर्भरता है। नजदीक के बाजार से भी जलावन हेतु लकड़ी खरीदी जाती है। ग्राम पंचायत में वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग हेतु प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत 455 परिवारों को एल.पी.जी. गैस कनेक्शन दिये गये है। गाँव में अन्य परिवारों को, जो पारम्परिक ईंधन का प्रयोग करते हैं, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (उ०प्र० नेडा), उज्जवला योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से एल.पी.जी, सौर ऊर्जा संयत्र (सोलर कुकर) एवं बायोगैस निर्माण किये जाने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

पशुधन की अधिकता को देखते हुये विभाग के सहयोग से एक प्रदर्शन (Demonstration) बायोगैस संयंत्र का निर्माण कराया जायेगा एवं स्थानीय लोगों को इसें बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। गाँव की माँग के आधार पर ग्राम पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव संबंधित विभाग को भेजा जायेगा।

6.6 जैवविविधता संबंधी गतिविधियां-

जैवविविधता संरक्षण हेतु गाँव में निम्न कार्य किये जाने हैं -

1. नदी की पारिस्थितिकी, जैवविविधता एवं उस पर संकट के बारे में समुदाय को जागरूक करना।

2. मछुआरा समुदाय के साथ निरन्तर जागरूकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
3. गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।
4. वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं जलीय जीवों के बचाव एवं पुनर्वास के लिये संवेदनशील करना।
5. रसायनिक खादों के प्रयोग से स्वास्थ्य एवं जैवविविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता।
6. जैविक और प्राकृतिक खेती से संबंधित प्रशिक्षणों का आयोजन।
7. किसानों को खेतों के एक भाग पर जैविक खेती करने के लिये प्रेरित करना।
8. नदी के किनारे अधिक से अधिक वृक्ष लगाने हेतु कार्य करना।
9. पालिज की खेती करने वाले किसानों के लिये वैकल्पिक आजीविका प्रशिक्षणों का आयोजन।
10. मछुआरों को मछली पकड़ने के लिये मच्छरदानी जाल का प्रयोग न करने के लिये प्रेरित किया जायेगा।

6.7 कृषि विकास संबंधी गतिविधियां -

राजेपुर ग्राम पंचायत में कृषि पर निर्भर परिवारों के द्वारा उत्पादन को बढ़ाने के लिये खेतों में रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण मानव के साथ ही नदी में रहने वाले जलीय जीवों को होने वाली हानि के प्रति समुदाय को जागरूक किया जाना आवश्यक है। नदी किनारे कृषि करने से जलीय जीवों के निवास स्थल तथा प्रजनन स्थल पर भी संकट पैदा हो रहा है। कृषि विकास संबंधी निम्न गतिविधियाँ ग्राम में संचालित की जायेंगी-

1. जैविक ओर प्राकृतिक कृषि के प्रति किसानों को प्रेरित करने के लिये जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
2. जैविक कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करना।
3. किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व के बारे में जानकारी देना।
4. उद्यान विभाग से समन्वय कर किसानों को अपने खेतों में फलदार वृक्ष लगाने हेतु प्रेरित करना।

6.8 पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियां -

राजेपुर में अधिकतर परिवारों द्वारा पशुपालन को व्यवसाय के रूप में किया जाता है। लगभग **308** परिवारों के पास पशु हैं जिनके लिये खेतों, जंगलों व नदी के किनारे से चारे की व्यवस्था की जाती है। जिससे नदी किनारे की वनस्पति को हानि हो रही है एवं जलीय जीवों के आवास व प्रजनन स्थल घट रहे हैं।

1. सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिये चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जायेगी।
2. चारे हेतु खेतों के मेढ़ों पर नेपियर घास तथा चारा पत्ती वाले पेड़ लगाने के लिये किसानों को प्रेरित किया जायेगा।
3. जैविक कृषि को प्रोत्साहन व गोबर का उपयोग कर जैविक खाद बनाकर बेचने के लिये प्रेरित करना।
4. नदी के किनारे स्वच्छता अभियान एवं पौधा रोपण समुदाय के सहयोग से किया जायेगा।

5. पशुपालन विभाग के सहयोग से पशु टीकाकाकरण कैम्प आदि का आयोजन किया जायेगा।

6.9 मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियाँ-

- ग्राम पंचायत में मत्स्य पालन विभाग से समन्वय स्थापित कर पोखर तथा तालाब का निर्माण करने का प्रयास किया जायेगा। जिसमें समुदाय द्वारा मछली पालन किया जा सकता है।
- वन विभाग के साथ मिलकर मछली पकडने के उचित जाल का उपयोग करने के लिये मछुआरों के साथ बात की जायेगी।

6.10 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन-

उपरोक्त योजनाओं एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित किये गये विभागों का विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	गतिविधि	विभाग
1.	ग्रामीण विकास, स्वच्छता संबंधी योजनाओं की जानकारी एवं निर्माण करना।	ग्रामीण विकास विभाग, स्वच्छ भारत अभियान
2.	वृक्षारोपण एवं जैवविविधता संरक्षण।	वन विभाग
3.	कौशल विकास एवं आजीविका संबंधी प्रशिक्षण	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम, **WISE,HESCO,** खादी एवं ग्रामोद्योग केन्द्र आदि
4.	उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, बायो गैस, बायो कम्पोस्ट निर्माण	कृषि एवं पशुपालन विभाग, बाएफ, किसान उत्पादक समूह
5.	वैकल्पिक ऊर्जा	उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, उज्जवला योजना आदि

उपरोक्त विभागों से समन्वयन स्थापित कर समुदाय को विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जायेगा।

7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

योजना के अंतर्गत प्रस्तावित की गई गतिविधियों का सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना आवश्यक है तभी उसके क्रियान्वयन से समुदाय लाभान्वित हो सकेगा।

क्रम सं०	प्रस्तावित गतिविधि	व्यवहार्यता
1-	समुदाय के साथ कछुओं के महत्व के बारे में जागरूकता बैठकों और अभियानों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
2	पालिज कृषि से कछुओं के वासस्थान को होने वाली हानि पर समुदाय से चर्चा व बैठकें।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
3	वन विभाग के साथ मिलकर क्षेत्र भ्रमण और जागरूकता बैठकों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य । विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
4	जैविक खेती करने हेतु किसानों को जागरूक करना एवं जैविक खाद के लाभ पर जागरूकता।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
5	जैवविविधता संरक्षण के विभिन्न पक्षों पर विद्यालयों में बच्चों और अध्यापकों के साथ जागरूकता कार्यशाला ।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
6	विशेष दिवसों जैसे वर्ल्ड टर्टल डे, अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस आदि पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
7	रैली, अभियान, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन आदि के माध्यम से समुदाय को जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
8	समूहों के साथ बैठकों और चर्चा के माध्यम से इन्हें कछुओं के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
9	नदी किनारे व घाटों की स्वच्छता बनाये रखने में समिति तथा समूहों का सहयोग लेना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य ।
10	कौशल विकास से संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर क्षेत्रीय युवाओं व युवतियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिलवाने का प्रयास किया जायेगा	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य । विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
11	आजीविका संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
12	स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पाद के लिए बाजार उपलब्ध कराने में सरकारी एंजेसियों के माध्यम से सहयोग करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
13	युवाओं को व्यक्तिगत रूप से स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना तथा संबधित विभाग या बैंक से लोन प्रक्रिया जानने तथा पहुँच बनाने में सहयोग करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

14	बैठकों व कार्यशालाओं के माध्यम से ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
15	बैठकों, स्वच्छता अभियान व दीवार लेखन आदि के माध्यम से स्वच्छता, प्लास्टिक वस्तुओं खासकर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
16	जैविक एवं अजैविक कूड़े एवं उसके पृथक्करण के बारे में समुदाय को जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
17	जिला स्तर पर विभिन्न विभागों से संपर्क कर, ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं को स्थापित करने का प्रयास करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी
18	कूड़ादान के उचित उपयोग हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं समय-समय पर विशेषकर त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियानो का आयोजन किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
19	बैठकों, स्वच्छता अभियान व दीवार लेखन आदि के माध्यम से स्वच्छता, प्लास्टिक वस्तुओं खासकर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
20	नदी की पारिस्थितिकी, जैवविविधता एवं उस पर संकट के बारे में समुदाय को जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
21.	मछुआरा समुदाय के साथ निरन्तर जागरूकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
22.	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
23.	वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं जलीय जीवों के बचाव एवं पुनर्वास के लिये संवेदनशील करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
24.	रसायनिक खादों के प्रयोग से स्वास्थ्य एवं जैवविविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
25.	जैविक और प्राकृतिक खेती से संबंधित प्रशिक्षणों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
26.	सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिये चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
27.	चारे हेतु खेतों के मेढ़ों पर नेपियर घास तथा चारा पत्ती वाले पेड़ लगाने के लिये किसानों को प्रेरित किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
28.	जैविक कृषि को प्रोत्साहन व गोबर का उपयोग कर जैविक खाद बनाकर बेचने के लिये प्रेरित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।

29.	नदी के किनारे स्वच्छता अभियान एवं पौधा रोपण समुदाय के सहयोग से किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
30.	पशुपालन विभाग के सहयोग से पशु टीकाकाकरण कैम्प आदि का आयोजन किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
31.	ग्राम पंचायत में मत्स्य पालन विभाग से समन्वय स्थापित कर पोखर तथा तालाब का निर्माण करने का प्रस्ताव भेजा जायेगा। जिसमें समुदाय द्वारा मछली पालन किया जा सकता है।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
32.	वन विभाग के साथ मिलकर मछली पकडने के उचित जाल का उपयोग करने करने के लिये मछुआरों के साथ चर्चा की जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।

7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट-

ग्राम पंचायत राजेपुर में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आर्थिक सहयोग से किया जायेगा। तकनीकी सहयोग हेतु जिला स्तरीय विभागों के साथ समन्वयन किया जायेगा। जहां तक संभव हो संबंधित विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को समुदाय तक पहुँचाने का प्रयास किया जायेगा जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन में आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सके।

बजट राजेपुर				
क्रम सं०	**गतिविधि**	**संख्या**	**दर**	**कुल राशि**
1	**सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां**			
i	समुदाय के साथ जलीय जीवों मुख्यरूप से कछुओं के महत्व के बारे में जागरूकता बैठकें आयोजित करना।	5	20000	100000
ii	विद्यालयों में पेंटिग, क्विज आदि के माध्यम जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना	10	10000	100000
iii	नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जलीय जीव संरक्षण के लिये जागरूकता	5	15000	75000
iv	जागरूकता हेतु दीवार लेखन	50	500	25000
v	जैविक खाद के लाभ पर जागरूकता बैठकें	10	5000	50000
vi	घाटों को साफ रखने से संबंधित पर सूचना बोर्ड/होर्डिंग लगाना	2	10000	20000
				370000
2	**कार्यशाला एवं प्रशिक्षण**			
i	स्वच्छता समिति और स्वंय सहायता समूह के सदस्यों को जैव विविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने हेतु प्रशिक्षित करना।	3	20000	60000

ii	आजीविका एवं कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन	4	150000	600000
iii	प्रशिक्षित लाभार्थियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं (सब्सिडी/लोन) की जानकारी देने हेतु कार्यशाला का आयोजन	1	20000	20000
iv	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।	1	50000	50000
v	जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।	2	25000	50000
				620000
3	**प्रदर्शन एवं निर्माण**			
i	किसानों को जैविक खाद के निर्माण का प्रदर्शन **(Demonstration)**	2	20000	40000
ii	त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान का आयोजन	10	5000	50000
iii	पौधारोपण			50000
iv	प्रदर्शन (Demonstration) मत्स्य तालाब का निर्माण			100000
				240000
4	**मानवशक्ति एवं यात्रा व्यय**			
i	फील्ड असिस्टेंट (5 वर्ष)	1	10000	600000
ii	यात्रा व्यय			150000
				750000
			कुल	**16,47,000**

7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन-

उपरोक्त कार्ययोजना का समय-समय पर अनुश्रवण क्रियान्वयन एजेंसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम के अनुश्रवण से हमें कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रगति व उसमें आने वाली बाधाओं की जानकारी प्राप्त होगी एवं मूल्यांकन कर कार्ययोजना के अनुरूप क्रियान्वयन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत में गठित समुदाय आधारित संस्थाओं व गंगा प्रहरियों के माध्यम से कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर रखे जाने वाले रिकार्ड्स का भी कार्यक्रम के अनुश्रवण में सहायक होंगे।

7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व-

कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय एवं एन०एम०सी०जी- भारतीय वन्यजीव संस्थान की टीम के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगें -

एन०एम०सी०जी- भारतीय वन्य जीव संस्थान टीम

- जागरूकता गतिविधियों, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण हेतु बजट की व्यवस्था करना।
- गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- जलीय जीवों के बचाव व पुनर्वास हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करना एवं समुदाय को जागरुक करना।
- आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वयन स्थापित करना।

समुदाय

- विभिन्न गतिविधियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों में भागीदारी करना।
- सहमत गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु स्थान प्रदान करना।
- संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित विभाग/कार्यकर्ताओं को देना।
- आजीविका एवं कौशल संबंधी प्रशिक्षणों में सक्रिय भागीदारी करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों को सहयोग करना।
- समय-समय पर स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन।
- जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन

7.5 विवाद का निपटारा-

ग्राम पंचायत में पंचायत स्तर पर विवाद का निपटारा आपसी सहमति से किया जायेगा।

7.6 रिकार्ड्स का रखरखाव-

रिकार्ड्स के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत या उनके द्वारा चयनित प्रतिनिधि की होगी जिसके लिये ग्राम स्तर पर चयनित गंगा प्रहरियों का सहयोग लिया जा सकता है।

- गोमती व सई नदी की स्वच्छता एवं वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधियों हेतु रजिस्टर
- विभिन्न गतिविधियों के फोटोग्राफ
- क्रियान्वित गतिविधियों की रिपोर्ट
- प्रशिक्षण में शामिल प्रशिक्षणार्थियों का विवरण
- गंगा प्रहरी द्वारा की जा रही गतिविधियों का विवरण
- ग्राम स्तर पर आयोजित गतिविधियों के दस्तावेज

7.7 सफलता के सूचक-

1. गोमती व सई नदी के बेसिन में जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा प्रहरियों का एक संवर्ग **(cadre)** तैयार हो चुका है।

2. स्थानीय समुदायों एवं अन्य हितधारकों को संवेदीकृत एवं प्रशिक्षित किया जा चुका है।
3. कार्यक्रम के हितधारकों, उनकी आवश्यकताओं और नदियों के संरक्षण में उनकी भूमिका सुनिश्चित कर ली गई है।
4. नदी पर आश्रित समुदाय हेतु कौशल व क्षमता विकास प्रशिक्षण किये जा चुके हैं।
5. समुदाय जैविक कृषि कार्यक्रमों को अपनाने हेतु पहल कर रहा है।
6. ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ है।
7. समुदाय जैवविविधता संबंधी गतिविधियों के प्रति जागरूक है एवं इसके लिये स्वयं गतिविधियों का आयोजन कर रहा है।
8. लोग वैकल्पिक आजीविका को अपना रहे हैं।
9. गंगा प्रहरियों के द्वारा लगातार समुदाय को नदी के जलीय जीवों के महत्व तथा संरक्षण के बारे में जागरुक करने का कार्य किया जा रहा है।

अनुलग्नक - 1
समझौता ज्ञापन

नमामि गंगे

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

समझौता ज्ञापन

भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने सभी भागीदारों को एक साथ लाकर गंगा नदी की जैवविविधता को बहाल करने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा लागू की जाने वाली परियोजना 'जैवविविधता और गंगा संरक्षण' इस संरक्षण की नीति का एक अभिन्न हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के सहयोग से, गंगा और उसकी सहायक नदियों की जलीय प्रजातियों के लिए बहाली योजना विकसित करना है, जिसके लिए शामिल दलों द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

समझौता ज्ञापन के पक्षधारी

इस समझौता ज्ञापन पर [illegible] ग्राम पंचायत, जिला [illegible] राज्य [illegible] और भारतीय वन्यजीव संस्थान के बीच 6/07/2022 दिन पर हस्ताक्षर किए गए है।

समझौता ज्ञापन के विषय

यह दस्तावेज गंगा व उसकी सहायक नदियों की जलीय प्रजातियों की बहाली के लिए शामिल दलों द्वारा परस्पर सहयोग के लिए प्रतिबद्धता तथा निम्न उद्देश्यों को सामूहिक रुप से प्राप्त करने की दिशा में प्रयास को दर्शाता है:

- स्थानीय समुदायों के बीच, गंगा व उसकी सहायक नदियों के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए, गंगा प्रहरी कैडर का सृजन।
- घायल एवं बीमार जलीय जीव–जन्तुओं के बचाव तथा पुनर्वास के लिए स्थानीय समुदायों द्वारा सक्रिय भागीदारी।
- नदी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दीर्घकालिक उपयोग।
- सम्मिलित पंचायत के निवासियों के लिए स्थान–विशेष, दीर्घकालिक आजीविका नीतियों की पहचान और विकास का प्रयास।

सभी पक्ष इस समझौता ज्ञापन का सम्मान करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं।

समझौते के लिए पक्षधारियों के हस्ताक्षर

भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से

हस्ताक्षर:

नाम: Dr. Ruchi Badola

पद: Nodal Officer, Wildlife Institute of India, National Mission for Clean Ganga, Dehradun, Uttarakhand

दिनांक:

पंचायत की ओर से

हस्ताक्षर: [illegible]

नाम: [illegible]

पद: प्रधान

दिनांक: 6/07/2022

अनुलग्नक - 2
सामाजिक मानचित्र ग्राम पंचायत राजेपुर

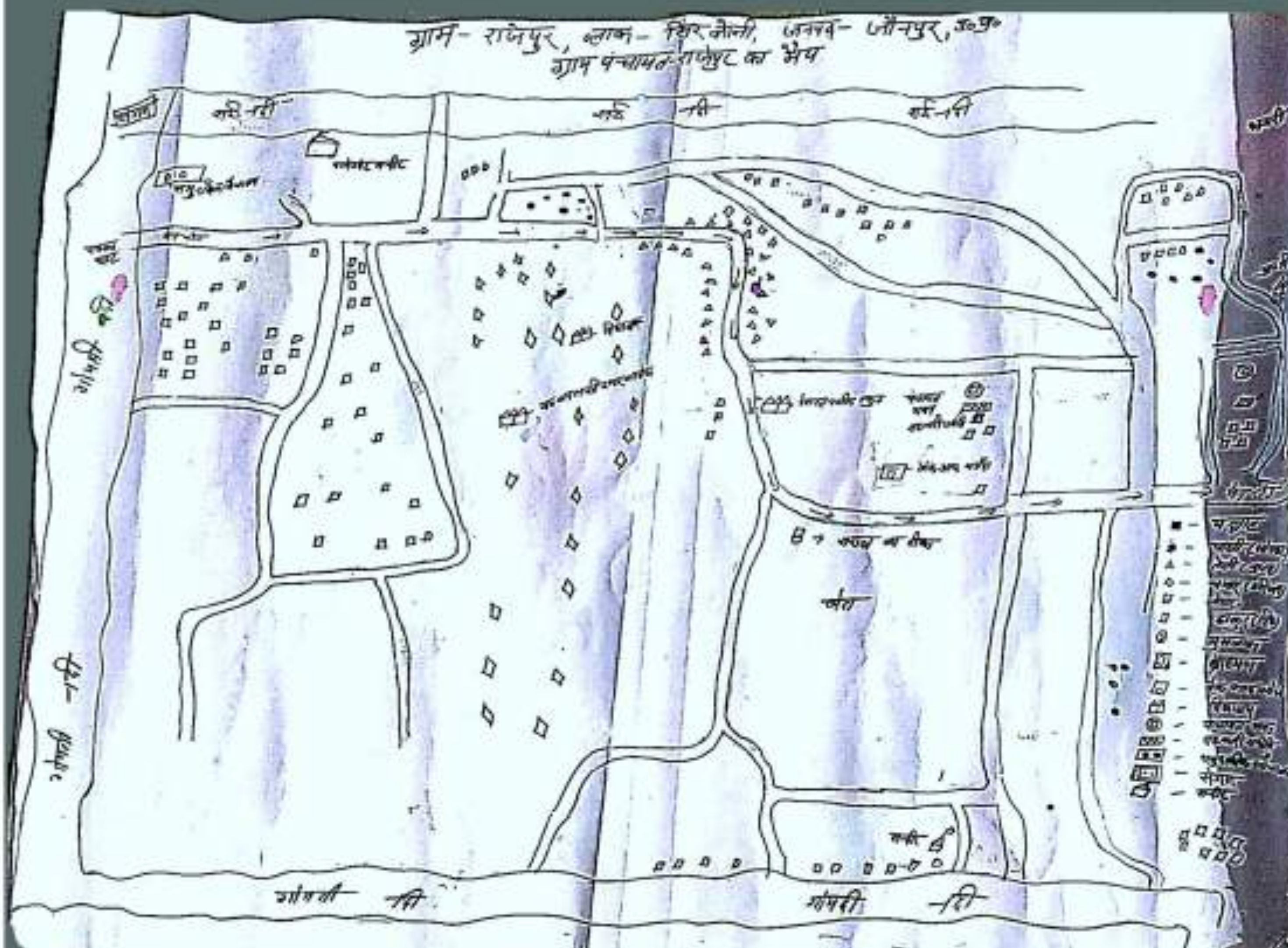

अनुलग्नक - 3
सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची

दिनांक - 21/12/2022

ग्राम स्तरीय सूक्ष्म [illegible] योजना में शामिल प्रतिभागियों के हस्ताक्षर - ग्राम - राजेपुर [illegible]

क्रम	नाम	पता	मो० नं०
1	विनोद सरोज	राजेपुर	98777 80934
2	रामलोटन	राजेपुर	8090601671
3	कमलावती देवी	राजेपुर	
4	लीलावती देवी	राजेपुर	
5	निर्मला देवी	राजेपुर	
6	रिता देवी	राजेपुर	9118319772
7	निर्मला देवी	राजेपुर	
8	प्रिया देवी	राजेपुर	9565181785
9	[illegible] गुप्ता	राजेपुर	
10	[illegible]	राजेपुर	
11	[illegible] देवी	राजेपुर	
12	[illegible] देवी	राजेपुर	
13	संजय	राजेपुर	983155[illegible]91
14	विनोद	उदपुर	9198687042
15	जयन्ती देवी	राजेपुर	7408768370
16	गीता देवी	राजेपुर	
17	सुधा देवी	राजेपुर	
18	श्यामप्यारी देवी	राजेपुर	
19	राजबहादुर सिंह	राजेपुर	7310006229
20	[illegible]	राजेपुर	
21	[illegible]	राजेपुर	
22	[illegible]	राजेपुर	
23	[illegible]	राजेपुर	
24	[illegible]	राजेपुर	
25	[illegible]	राजेपुर	
26	[illegible]	राजेपुर	
27	[illegible]	राजेपुर	

फोटो गैलरी

NMCG

National Mission for Clean Ganga
Ministry of Jal Shakti

GACMC

Ganga Aqualife Conservation
Monitoring Centre

Wildlife Institute of India

Chandrabani Dehradun - 248001
Uttarakhand, India

नमामि गंगे

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India